



प्रेसनोट थाना कोतवाली



जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक – 27.08.2026

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही ; नाबालिग से छेड़खानी करने, जान से मारने की धमकी देने से संबंधित अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.08.2026 को वादी द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त अवनीश पुत्र विजेन्द्र पाल निवासी ग्राम अजीजपुर तालुका रझौआ, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की 15 वर्षीय पुत्री का रास्ता रोककर मोबाइल नम्बर मांगने, नम्बर न देने पर जान से मारने की धमकी देने तथा दिनांक 19.08.2026 को समय करीब 12:35 बजे रास्ता रोककर छेड़खानी की नीयत से हाथ पकड़कर खींचने, मोबाइल नम्बर मांगने एवं मना करने के बाद पीछा करते हुए घर तक पहुंचने की घटना कारित की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु०अ०सं० 290/2026 धारा 126(2)/78(2)/74/351(3) बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 27.08.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अवनीश उपरोक्त को बाँस मण्डी तिराहे के पास से समय करीब 14:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अवनीश पुत्र विजेन्द्र पाल नि०ग्राम अजीजपुर तालुका रझौआ थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर (उम्र करीब 27 वर्ष)।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 290/2026 धारा 126(2)/78(2)/74/351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक/समय:-

बाँस मण्डी तिराहे के पास थाना कोतवाली दिनांक 27.08.2026 को समय करीब 14.30 बजे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ०नि० विशेष कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
2. का० सोनू थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।